

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16


दिनांक:- 09.11.2017

:: कार्यालय आदेश ::

श्री ब्रिजेश कुमार जैन, पर्यवक्षक समकक्ष तदर्थ व्याख्याता स्कूल शिक्षा (कनिष्ठ कृषि अध्यापक), शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान अजमेर जिनकी जन्मतिथि 10.01.1958 है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 31.01.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री ब्रिजेश कुमार जैन के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायेक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 09.11.2017

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, अजमेर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर ।
5. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान अजमेर ।
6. संबंधित कार्मिक श्री ब्रिजेश कुमार जैन ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर